

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ इन्दौर म०प्र०
के समक्ष

निगरानी - 0400/2019/धार/भू०रा०

प्रहलादसिंह पिता दरियावसिंह जाति राजपूत

निवासी-ग्राम खजुरिया तह. बदनावर

जिला धार म०प्र०

.....निगरानीकर्ता

बनाम

धर्मेन्द्र पिता समन्दरसिंह जाति राजपूत

निवासी-ग्राम खजुरिया तह. बदनावर

जिला धार म०प्र०

.....विपक्षी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

माननीय न्यायालय,

सेवा में, निगरानीकर्ता की ओर से नम्र निवेदन है कि :-

यह कि निगरानीकर्ता की यह निगरानी माननीय अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 366/अपील/2017-18 में दिये गये आदेश दिनांक 22/11/2018 से दुखी व असंतुष्ट होकर अन्य के अलावा निम्न आधारों पर यह निगरानी पेश की है :-

--:: निगरानी के तथ्य ::--

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक खातेदार इन्दरसिंह पिता दरियावसिंह जाति राजपूत निवासी-ग्राम खजुरिया तह. बदनावर जिला धार के नाम से कृषि भूमि ग्राम खजुरिया तह. बदनावर जिला धार में सर्वे नंबर 6/2/2, 11/2/1, 127/2/1, 161/2/1, रकबा क्रमशः 1.707, 0.207, 0.006, 0.464, कुल रकबा 2.384 हे० की भूमि दर्ज है ।



2. यह कि मृतक खातेदार इन्दरसिंह की मृत्यु दिनांक 15/03/2014

.....ने विधान को

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0400/2019/धार/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मोहन नागर, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 (2)(ख) के अंतर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।</p> <p> A36</p> <p> अध्यक्ष</p>	